झारखण्ड सरकार

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। (स्थापना शाखा)

कार्यालय आदेश

EAST SINGHBUM, दिनांक-09/03/2018

संख्या-XIV-7/2017-18-210 (HRMS)/ पूर्वी सिंहभूम समाहरणालय अंतर्गत कार्यरत वैसे कर्मी जिन्होंने दिनांक-30.11.2017 तक 20 वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली हैं, को द्वितीय संशोधित सुनिश्चित वृति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिनांक-14.12.2017 को अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति की बैठक आहुत की गई । बैठक की कार्यवाही इस कार्यालय के ज्ञापांक-1237/स्था0 दिनांक-14.12.2017 द्वारा निर्गत हैं। इस बैठक में समिति द्वारा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981/वि0 दिनांक-01.09.2009 एवं संकल्प संख्या-217/वि0 दिनांक-18.01.2017 की कंडिका-20 में निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नांकित कर्मियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से द्वितीय संशोधित सुनिश्चित वृति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

स्क्रीनिंग समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित कर्मियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से द्वितीय संशोधित सुनिश्चित वृति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

Sr No.	Employee Name -- (Gpf Number)	Current Department	Current Office Current Designation	Date of Initial Joining	Level Basic Pay	Effective Date
1	BALWANT SINGH -- (jsp/rdd/371)	> DC OFFICE EAST SINGHBHUM	GUDABANDHA CIRCLE ,EAST SINGHBUM Revenue Karmchari	30/07/1996	L7 -	20/09/2016
51 days L.W.P के कारण						
2	PRABHAT KUMAR SINHA -- (JSP/COLL/234)	> DC OFFICE EAST SINGHBHUM	D C OFFICE EAST SINGHBHUM ,EAST SINGHBUM Clerk	22/09/1997	L6 -	22/09/2017

1. सभी कार्यालय प्रधान वेतन निर्धारण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेगें कि संबंधित कर्मी एम0ए0सी0पी0 योजना की सभी शर्तो को पूरा करते हैं तथा इसके लिए वे सर्वथा योग्य हैं। यदि इसमें विभिन्नता का मामला आता है तो वेतन निर्धारण के पूर्व वे पुनः जिला स्तर से निर्देश प्राप्त करेंगे। यह कार्यालय प्रधान की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
2. स्वीकृत एम0ए0सी0पी0 का वेतन निर्धारण का सत्यापन संबंधित जिला लेखा पदाधिकारी द्वारा किये जाने के उपरान्त ही संबंधित कर्मियों को देय तिथि से वित्तीय उन्नयन का लाभ अनुमान्य होगा।
3. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा तथा पदधारक की वरीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त करने के बाद भी पदधारक मूल कर्तव्य का ही सम्पादन/निर्वहन करेंगे तथा पदनाम भी नियमित प्रोन्नति तक यथावत रहेगा।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एम0ए0सी0पी0 के तहत स्वीकृत वित्तीय उन्नयन वेतनमान् की प्रविष्टि सेवापुस्त में करते हुए संबंधित कर्मी को Seen कराकर उनका हस्ताक्षर प्राप्त कर लेंगे।
5. यदि भविष्य में वेतन के सत्यापन के क्रम में कोई त्रुटि या गलती पायी जाती है तो प्रदत्त वित्तीय उन्नयन रद्द/संशोधित कर दी जायेगी तथा अधिक/कम भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति एकमुश्त कर ली जायेगी। इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।
6. इस वित्तीय उन्नयन के लाभ की स्वीकृति के प्रस्ताव पर जिला लेखा पदाधिकारी की सहमति प्राप्त है।

(अमित कुमार)
उपायुक्त,पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर।
जीपीएफ संख्या:110071732287

ज्ञापांक-XIV-7/2017-18-210 (HRMS)/EAST SINGHBUM

दिनांक-09/03/2018

प्रतिलिपिः जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी,जमशेदपुर/उप-कोषागार पदाधिकारी, घाटशिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं वित्त विभागीय पत्र के निदेशानुसार विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः संबधित पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर।

ज्ञापांक-XIV-7/2017-18-210 (HRMS)/EAST SINGHBUM

दिनांक-09/03/2018

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, वित विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सचिव, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड (ले0ह0.1) डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर।

Prepared By:- MANIJAR MANDAL - (JSP/COL/310)